

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

शमीम अख्तर, व्याख्याता रसायन विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूज, जमावारागढ़, जयपुर द्वारा न्यायालय आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर में परिवाद संख्या 14/2019 दायर की गई, जिसमें परिवादिया शमीम अख्तर ने स्वयं के दिव्यांग होने तथा लगातार 15 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के बावजूद जयपुर शहर में स्थानान्तरण नहीं किए जाने का वाद दायर किया।

न्यायालय आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 26.12.2019 की अनुपालना में शमीम अख्तर व्याख्याता रसायन विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बूज, जमावारागढ़, जयपुर का समायोजन राबाउमावि, आदर्श नगर, जयपुर पूर्व, वार्ड नं० 64, जयपुर में दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले रसायन विज्ञान, व्याख्याता के पर पर किया जाता है। यह समायोजन आदेश दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको नियत तिथि को शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/विशेषयोग्यजन/शमीमअख्तर/परिवाद सं० 14/2019 दिनांक- 24.06.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर